संख्या-111/2024/|/830176/2024/001-71-2099-156-2022

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक-20-12-2024

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अंतर्गत पी0एच0सी0 जुग्गौर में एन0एम0सी0 मानक के अनुसार मेडिकल छात्रों के लिये रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेन्टर के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1993/डा0रा0म0लो0आ0सं0/2024/सि0/21, दिनांक 22.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अंतर्गत पी0एच0सी0 जुग्गौर में एन0एम0सी0 मानक के अनुसार मेडिकल छात्रों के लिये रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेन्टर के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश सं0-120/2023/1/397585 /2023/001-71-2099-156-2022, दिनांक 29.09.2023 द्वारा उक्त परियोजना हेतु स्वीकृत परियोजना लागत रु0 366.67 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रु0 183.34 लाख अवमुक्त की गई थी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अंतर्गत पी0एच0सी0 जुग्गौर में एन0एम0सी0 मानक के अनुसार मेडिकल छात्रों के लिये रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेन्टर के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु परियोजना की अवशेष धनराशि रू0 183.33 लाख (अनुदान संख्या-31 से रू0 144.84 लाख तथा अनुदान संख्या-83 से रू0 38.49 लाख) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्व रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्य कराने वाले संस्था प्रमुख एवं कार्यदायी संस्था की होगी।
2. निदेशक संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था का होगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
5. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
7. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।
8. प्रश्नगत परियोजना हेतु पूर्व निर्गत शासनादेश सं0-120/2023/1/ 397585/2023/001-71-2099-156-2022, दिनांक 29.09.2023 में उल्लिखित शासनादेश की शर्ते यथावत रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,44,84,000 (रुपये एक करोड़ चौवालीस लाख चौरासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050400 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 38,49,000 (रुपये अड़तीस लाख उनचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037892800 डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी -1-294/ दस -2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-111/2024/1/830176/2024/001-71-2099-156-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्था0न, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in